

10/06/2024

पत्रावली पेश हुई। वरुण प्र उपासित

प्राथी ने प्रार्थना पत्र मिसल तलब हेतु पेश  
 किया है। प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार  
 किया जाता है। प्राथी द्वारा विद्रा बाबत  
 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत इस आशय का किया  
 है कि प्राथी व अप्राथी शिवा के मध्य बाहुनी  
 राजीनामा हो चुका है। प्राथी उक्त प्रार्थना  
 अस्थाई निषेधाज्ञा के आगे कोई कार्यवाही  
 नहीं चाहता है। अतः विद्रा करने का  
 निर्देशन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र सी० आर०  
 का हस्तगत बाद की विद्रा किया जा चुका है।  
 अतः प्राथी का विद्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार  
 किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र सी० आर०  
 को विद्रा किया जाता है। पत्रावली  
 फ़ैसल सुमार टोकर नम्बर से कम है।  
 तथा बाद वरुणीय दारिखत नम्बर है।  
 निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

12

सह जज कलक्टर खण्डल  
मु० रींगल